पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 30, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0) भवन, नियर आई0एस0बी0टी0, सहारनपुर रोड़,

क्लेमेन्टाऊन, देहरादून–248002

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2013

No. F-9(21)/RG/UERC/2013/996--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ("इसके आगे जिसे मुख्य विनियम कहा गया है") अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 1(3) का संशोधनः मुख्य विनियम के विनियम 1 के उप–विनियम 3 को समाप्त किया जाता है तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (गैर परम्परागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 एवं इसके संशोधन, अध्याय 1 के विनियम 3, अध्याय 4 एवं 5 को छोड़कर, निरसित हो जायेंगे। उपरोक्त विनियम के उक्त अध्याय 1, के विनियम 3 एवं अध्याय 4 एवं 5 को पुनःस्थापित किया गया है। मुख्य विनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व की प्रारम्भ हुई परियोजनाओं के लिये उविनिआ (गैर परम्परागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 के अध्याय 1 के विनियम 3 एवं अध्याय 4 एवं 5 के प्राविधान निरंतर लागू रहेंगे।"

3. उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के विनियम 9 का उप–विनियम (1) को निम्न प्रकार पढ़ा जायेगा:–

"ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिये अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा शुल्क नीति के उपबंधों के अनुरुप राज्य के सभी वितरण अनुज्ञापी, बंधित (सह–उत्पादन आधारित बंधित को छोड़कर) उपयोग कर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन वाले ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके आगे "बाध्य ईकाई" (Obligated Entity) के रूप में संदर्भित किया गया है, विनियम 4 के अधीन परिभाषित रूप में योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, निम्नानुसार स्वयं के उपभोग के लिये अपनी कुल विद्युत आवश्यकताओं का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने के लिये बाध्य होंगे। यह बाध्य ईकाईयों का नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) कहलायेगा।

वर्ष	नवीनीकरणीय क्रय दायित्व–गैर सोलार	नवीनीकरणीय क्रय दायित्व–सोलार
2013–14	6.00%	0.050%
2014–15	7.00%	0.075%
2015–16	8.00%	0.100%
2016–17	9.00%	0.300%
2017–18	11.00%	0.500%

* ऊपर अनुबद्ध प्रतिशत आर.पी.ओ. स्वयं के उपयोग हेतु वर्ष के दौरान बाध्य ईकाई द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रुप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा व्यक्त करती है।

बशर्ते यदि ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत स्रोतों से ऊपर विनिर्दिष्ट RPO से अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है तो उत्पादक या बाध्य ईकाई आयोग से संपर्क करेंगे।"

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव।